तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8582/2006/बून्दी नरेन्द्रसिंह बनाम सुगनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री वैभव पारीक एवं श्री शंकरलाल चौधरी,
अधिवक्तागण, अप्रार्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 18.07.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, कोटा पारित निर्णय दिनांक 09–11–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अन्थडा स्थित विवादित आराजी रकबा 64बीघा 16बिस्वा के खातेदार भवर पुत्र फैफ सिंह हिस्सा 1/2 एवं शेष 1/2 हिस्से के खातेदार सौभाग कंवर बेवा परबत्या व नरेन्द्रसिंह गोदपुत्र परबत्या के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। सहखातेदार सौभाग कंवर की मृत्यु उपरान्त फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 603 दिनांक 18–12–2006 प्रार्थी नरेन्द्रसिंह के पक्ष में नायब तहसीलदार, तालेडा द्वारा स्वीकृत किया गया। इस नामान्तरकरण के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या–1 ने जिला कलक्टर, बून्दी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 13–03–2006 से खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या–1 ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 09–11–2006 से स्वीकार कर प्रकरण नायब तहसीलदार, तालेडा को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मण्डल के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8582/2006/बून्दी नरेन्द्रसिंह बनाम सुगनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा विवादित आराजी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है तथा नियमित वाद के लम्बित रहते नामान्तरकरण सम्बन्धी समरी कार्यवाही को स्थगित रखे जाने के विधिक सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में जिला कलक्टर, बून्दी ने प्रथम अपील का निस्तारण किया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि सौभाग कंवर के जीवनकाल में सौभाग कंवर के साथ विवादित भूमि का सहखातेदार प्रार्थी अंकित किया हुआ है तथा गोदपुत्र बाबत् भी अंकन किया हुआ है तथा अपने जीवनकाल में सौभाग कंवर ने गोदपुत्र बाबत् कभी कोई एतराज नहीं किया। उनका कथन है कि नायब तहसीलदार ने मृतक खातेदार की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में प्रार्थी के पक्ष में तस्दीक की। उनका कथन है कि विवादित आराजी पैत्रिक सम्पत्ति होने से वसीयत योग्य नहीं थी। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या–1 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार को प्रतिप्रेषित करने में त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थी द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8582/2006/बून्दी नरेन्द्रसिंह बनाम सुगनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा जावे। योग्य अधिवक्तागण अप्रार्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी के मृतक सहखातेदार सौभाग कंवर ने उनके पक्षकार के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 7–12–1993 को निष्पादित की गयी थी। उक्त पंजीकृत वसीयत के आधार पर विवादित आराजी का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत को ध्यान में रखते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार, तालेडा को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां, पारित निर्णय का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मृतक सहखातेदार श्रीमती सोभाग कंवर द्वारा अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की कृषि भूमि की एक पंजीकृत वसीयत अप्रार्थी संख्या–1 सुगनसिंह के पक्ष में दिनांक 07–12–1993 को निष्पादित की गयी, किन्तु सहखातेदार श्रीमती सोभाग कंवर के देहान्त उपरान्त नायब तहसीदलदार, तालेडा द्वारा प्रार्थी नरेन्द्रसिंह को उसका गोद पुत्र होना मानकर विवादित भूमि का फोतगी का नामान्तरकरण संख्या 603 दिनांक 18–12–2004 को तस्दीक कर दिया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8582/2006/बून्दी नरेन्द्रसिंह बनाम सुगनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा विवादित आराजी का फौतगी का नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या–1 सुगनसिंह के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत पर कोई ध्यान नहीं देकर विवादित आराजी का फौतगी का नामान्तरकरण सरसरी तौर पर तस्दीक कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार, तालेडा को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहनलाल नेहरा)** **सदस्य**	